क्र0सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी सहित
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

जिला बदर वाद संख्या– 26/2024

राज्य द्वारा पुलिस अधीक्षक
बनाम्
मुकेश कुमार साव उर्फ प्रभात जी

अधिवक्ता राज्य– लोक अभियोजक, लातेहार
अधिवक्ता प्रतिपक्षी –

आदेश

अभिलेख प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 114/डी0सी0बी0 दिनांक 26.03.2024 से कुख्यात अपराधकर्मी मुकेश कुमार साव उर्फ प्रभात जी, पे0–निरंजन साव, सा0–चेडरा, थाना–बारियातु, जिला–लातेहार के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा– 3(3)(a) के तहत् जिला बदर हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्ताव के आलोक में अपराधकर्मी मुकेश कुमार उर्फ प्रभात को आरोप पत्र एवं ज्ञापांक 547/विधि, दिनांक–12.04.2024 से बचाव पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा कार्यालय पत्रांक 548/विधि, दिनांक–12.04.2024 से पुलिस अधीक्षक, लातेहार को सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए सक्षम पदाधिकारी को अधिकृत करने हेतु सूचित किया गया।

अपराधमकर्मी मुकेश कुमार साव को थाना के माध्यम से तामिला कराया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी इनके द्वारा न्यायालय में स्वंय अथवा किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से पक्ष नहीं रखा गया। ये न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहे। फलस्वरूप वाद को एक पक्षीय करते हुए सुनवाई की गई।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा अधिकृत थाना प्रभारी, बारियातु एवं लोक अभियोजक, लातेहार उपस्थित हुए। थाना प्रभारी, बारियातु एवं लोक अभियोजक, लातेहार द्वारा बताया गया कि मुकेश कुमार साव उर्फ प्रभात जी, पे0–निरंजन साव, सा0–चेडरा, थाना–बारियातु, जिला–लातेहार का रहने वाला है, जो राज्य एवं अन्तरराज्य स्तरीय कुख्यात पेशेवर अमन साव गिरोह का अत्यन्त सक्रिय सदस्य है। जिनके अपराधिक गतिविधि के कारण बालूमाथ एवं बारियातु थाना क्षेत्र के

Scanned with CamScanner

लोगों में भय व्याप्त है। इनके अपराधिक क्रियाकलाप से विशेषकर व्यापारिक गतिविधि में संलग्न व्यक्तियों एवं विभिन्न निजी कम्पनियों के कर्मियों, सरकारी योजनाओं में काम कर रहे ठेकेदारों, उनके मुन्शियों, कोल कारोबारियों में भय व्याप्त है। ये व्यापारियों, निजी कम्पनियों के कर्मियों, सरकारी योजनाओं में काम कर रहे ठेकेदारों, उनके मुन्शियों, कोल कारोबारियो को जान मारने की धमकी देकर अक्सर रंगदारी की मांग करते हैं। रंगदारी नही देने पर इनके द्वारा सईडिंग पर फायरिंग करना, पोस्टरबाजी, डरा–धमकार लेवी वसूलने का काम किया जाता है। इनके अपराधिक गतिविधियों के कारण लोक शांति एवं विधि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कभी भी अप्रिय घटना घटने की सम्भावना बनी रहती है। बालूमाथ एवं बारियातु थाना क्षेत्र की जनता मे इतना डर व्याप्त है कि इनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति पुलिस के समक्ष शिकायत भी दर्ज नहीं कराते है। कुख्यात अपराधकर्मी अमन साव के सम्पर्क में रहने के कारण (1) बालूमाथ थाना कांड संख्या–71/2014, दिनांक–10.06.2014, धारा–363 भा0द0वि0 जिसमें अनुसंधानोपरान्त पुरक आरोप पत्र संख्या–06/15, दिनांक–08.01.2015, (2) बालूमाथ थाना कांड संख्या–223/2018, दिनांक–01.12.2018, धारा–341/342/323/384/387/379/435 भा0द0वि0 में आरोप पत्र संख्या–66/21, दिनांक–24.03.2021, (3) बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–234/2018, दिनांक–08.12.2018, धारा–384/387/506 भा0द0वि0 के तहत् आरोप पत्र संख्या–201/2020, दिनांक–26.09.2020, (4) बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–166/2019, दिनांक–31.07.2019, धारा–386/387/427 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र संख्या–147/20, दिनांक–07.07.2020, (5) बालूमाथ थाना कांड संख्या–264/2019, दिनांक–18.12.2019, धारा–302/120बी भा0द0वि0 एवं 27(3) आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र संख्या–70/2020, दिनांक–04.04.2020 एवं (6) बालूमाथ थाना कांड संख्या–09/2020, दिनांक–14.01.2019, धारा–25(1–ए)/26(2) /35 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र संख्या–202/2020, दिनांक–27.09.2020 न्यायालय में समर्पित किया गया तथा ये जेल जा चुके है। इसके अतिरिक्त बड़कागांव (उरीमारी) थाना काण्ड संख्या–18/2019, दिनांक–25.01.2019, धारा–306/387/120बी भा0द0वि0, बड़कागांव (उरीमारी) थाना काण्ड संख्या–42/2019, दिनांक–28.02.2019, धारा–147/148/149/241/324/326/307 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट, बड़कागांव (उरीमारी) थाना काण्ड संख्या–98/2019, दिनांक–27.07..2019, धारा–387/307/120बी/34 भा0द0वि0, बड़कागांव थाना काण्ड संख्या–83/2019, दिनांक–21.06.2019, धारा–386/34

Scanned with CamScanner

भा0द0वि0 एवं हजारीबाग मुफ्फसील थाना कांड संख्या–159/2019, दिनांक–09.07.2019, धारा–387/34 भा0द0वि0 के साथ–साथ स्थानीय थाना बारियातु में इनके विरूद्ध (1).सन्हा संख्या–20/24, दिनांक–22.03.2024, (2) सन्हा संख्या–21/24, दिनांक–23.03.2024 एवं (3), सन्हा संख्या–19/24, दिनांक–24.03.2024 दर्ज किया गया है। वर्तमान में जमानत पर छूटकर बाहर आए हैं। इनके अपराधिक गतिविधियों के कारण जिले के आम जन–मानस में खौफ पैदा हो गया है तथा जिले में लोक शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना हो गयी है। जिले की लोक शांति व्यवस्था एवं आम जनमानस के जन जीवन में लोक परिशांति एवं भयमुक्त वातावरण का निर्माण के लिए कुख्यात अपराधकर्मी मुकेश कुमार साव उर्फ प्रभात जी, पे0–निरंजन साव, सा0–चेडरा, थाना–बारियातु, जिला–लातेहार को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा– 3(3)(a) के तहत् जिला बदर का आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

लोक अभियोजक, लातेहार एवं थाना प्रभारी, बारियातु के द्वारा सरकारी की ओर से रखे गए दलीलों को सुना एवं स्मरण में रखा। पुलिस अधीक्षक, लातेहार से प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। मुकेश कुमार साव उर्फ प्रभात का अपराधिक गिरोह अमन साव से संपर्क रहा है तथा इनके सदस्य के रूप में कार्य किया गया है। इन्हें (1) बालूमाथ थाना कांड संख्या–71/2014, दिनांक–10.06.2014, धारा–363 भा0द0वि0 जिसमें अनुसंधानोपरान्त पुरक आरोप पत्र संख्या–06/15, दिनांक–08.01.2015, (2) बालूमाथ थाना कांड संख्या–223/2018, दिनांक–01.12.2018, धारा–341/342/323/384/387 /379/435 भा0द0वि0 में आरोप पत्र संख्या–66/21, दिनांक–24.03.2021, (3) बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–234/2018, दिनांक–08.12.2018, धारा–384/387/506 भा0द0वि0 के तहत् आरोप पत्र संख्या–201/2020, दिनांक–26.09.2020, (4) बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–166/2019, दिनांक–31.07.2019, धारा–386/387/427 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र संख्या–147/20, दिनांक–07.07.2020, (5) बालूमाथ थाना कांड संख्या–264/2019, दिनांक–18.12.2019, धारा–302/120बी भा0द0वि0 एवं 27(3) आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र संख्या–70/2020, दिनांक–04.04.2020 एवं (6) बालूमाथ थाना कांड संख्या–09/2020, दिनांक–14.01.2019, धारा–25(1–ए)/26(2)/35 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र संख्या–202/2020, दिनांक–27.09.2020 न्यायालय में समर्पित किया गया तथा ये जेल जा चुके है।

Scanned with CamScanner

इसके अतिरिक्त बड़कागांव (उरीमारी) थाना काण्ड संख्या–18/2019, दिनांक–25.01.2019, धारा–306/387/120बी भा0द0वि0, बड़कागांव (उरीमारी) थाना काण्ड संख्या–42/2019, दिनांक–28.02.2019, धारा–147/148/149/241/324/326/307 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट, बड़कागांव (उरीमारी) थाना काण्ड संख्या–98/2019, दिनांक–27.07..2019, धारा–387/307/120बी/34 भा0द0वि0, बड़कागांव थाना काण्ड संख्या–83/2019, दिनांक–21.06.2019, धारा–386/34 भा0द0वि0 एवं हजारीबाग मुफ्फसील थाना कांड संख्या–159/2019, दिनांक–09.07.2019, धारा–387/34 भा0द0वि0 दर्ज है। इनको प्रतिबंधित नहीं करने से जिले में लोक शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए झारखण्ड अपराध नियंत्रण 2002 की धारा– 3(3)(a), के तहत् अपराधकर्मी मुकेश कुमार साव उर्फ प्रभात जी, पे0–निरंजन साव, सा0–चेडरा, थाना–बारियातु, जिला–लातेहार को लातेहार जिला से जिलाबदर/तड़ीपार का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपराधकर्मी मुकेश कुमार साव उर्फ प्रभात जी, पे0–निरंजन साव, सा0–चेडरा, थाना–बारियातु, जिला–लातेहार को झारखण्ड अपराध नियंत्रण 2002 की धारा– 3(3)(a), के तहत प्रतिबंधित करते हुए (3) तीन माह के लिए लातेहार जिला से जिलाबदर/तड़ीपार किया जाता है।

आदेश का अनुपालन पुलिस अधीक्षक, लातेहार/थाना प्रभारी, बारियातु द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, लातेहार, थाना प्रभारी, बारियातु, मुकेश कुमार साव उर्फ प्रभात जी को भेजे। अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.08.16 17:50:24 +05:30
Location: 192.168.5.143

उपायुक्त–सह– जिला दण्डाधिकारी
लातेहार।

उपायुक्त–सह– जिला दण्डाधिकारी
लातेहार।

Scanned with CamScanner